





प्रकरणं क्मांक (१२२) . 333 ५- १००१) १ द

लाखनसिह पुत्र नन्दराम जाति कुर्मी निवासी ग्राम सानई तहसील कुम्भराज जिला गुना म०प्र0

-----आवेदक / निगरानीकर्ता विपरीत

ent -1905 OHEN!

٧.

म0प्र0राज्य शासन द्वारा पटवारी ग्राम सानई तहसील कुम्भराज जिला गुना म0प्र0

-अनावेदक / प्रति निगरानीकर्ता

14.10.15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959।

निगरानी विरुद्ध श्रीमान एस.डी.ओ. महोदय चाचौड़ा के प्रकरण क्रमांक 87अ 68 / 2014—15 / 345 में पारित आदेश व जारी सूचनापत्र दिनांक 06—08—15 से व्यथित होकर।

den

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3334-पीबीआर / 2015

जिला गुना पक्षकारों एवं अभिभाषकों

आदि के हस्ताक्षर

15-10-2015

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अन्विभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8-10-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 18-9-15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संहिता की धारा 162 एवं 248 में संशोधन होना दर्शाते हुये आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि दिनांक 11-7-2013 को संहिता में कोई संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि केवल बिल पेश हुआ है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

(मर्नोज गोर्यल) अध्यक्ष